

आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 220/2020 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेशन)  
जम्बो फिनवेस्ट (इण्डिया) लि कार्यालय 102, कंचन अपार्टमेन्ट, एल बी एस कालेज के सामने तिलक  
नगर, जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. कुम्भाराम जाट पुत्र श्री पन्नाराम जाट  
पता- तैरियावाली ढाणी, नायन, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर ।
2. गंगाराम जाट पुत्र श्री पन्नाराम जाट  
पता-अवलावली ढाणी, कलवानियों का बास, नायन, शाहपुरा, फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान एवं  
2, गोपालपुरा, रानीपुरा, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान ।
3. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र श्री पन्नाराम जाट  
पता-अवलावली ढाणी, कलवानियों का बास, नायन, शाहपुरा, फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान
4. बाबूलाल शर्मा पुत्र श्री रामेश्वरा लाल शर्मा  
पता- मन्ना वाली ढाणी, मुरलीपुरा, धानोता, शाहपुरा, जिला जयपुर राजस्थान ।

अप्रार्थीगण  
ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-

- 1.श्री भवानी सिंह नरुका अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक

09.12.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.08.2015 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी कुम्भाराम जाट पुत्र श्री पन्नाराम जाट के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति खसरा नम्बर 1526 ग्राम कलवानियों का बास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर को बन्धक रख कर 25,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.10.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत

रु. 5  
जिस्ट्रेट  
र) जयपुर

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 24 अक्टूबर 2018 को क्रम संख्या 13 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 25,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय व्याज कुल 11,98,756/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 30.10.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी कुम्भाराम जाट पुत्र श्री पन्नाराम जाट के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति खसरा नम्बर 1526 ग्राम कलवानियों का बास तहसील शाहपुरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।



09/12/21  
(अन्तर सिंह नेहरा)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर